UPRB010074802023

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार पाण्डे), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP0624

सत्र परीक्षण सं०-1632/2023

राज्य बनाम अनीता पाल आदि

दिनांक- 03-05-2024

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

प्रार्थनापत्र 10 ख का निस्तारण

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल एवं राम अवध पाल द्वारा प्रार्थनापत्र अं० धारा 227 दं०प्र०सं० मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए अधिरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना किया गया है।

2- अभियुक्तगण का कथन है कि उनके द्वारा यह प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 22-02-2024 के अनुपालन में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के चार दिन बाद विलम्ब से दर्ज कराया गया है। विवेचक द्वारा घटना की सही विवेचना न करते हुए वादी मुकदमा के प्रभाव में गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस रस्सी से मृतक मायाराम पाल की गर्दन कसी हुई थी उसे न तो विवेचक द्वारा बरामद किया गया है और न ही उसके बारे में कोई विवेचना किया गया है। मृतक के आसपास मिले हुए सामान में सोसाइड नोट की मूल प्रति न मिलने पर भी गहनता से विवेचना न करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों को दोषी बना देना अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। कथित सोसाइड नोट की छायाप्रति में अभियुक्त राम अवध पाल का नाम न होने पर भी उन्हें दोषी बना देना विवेचना को त्रुटिपूर्ण बनाता है। मृतक मायाराम पाल के मुंह में खुसे हुए सफेद कपड़ा जिसका उल्लेख पंचनामा व पोस्टमोर्टम में किया गया है उसके बारे में भी किसी प्रकार की कोई विवेचना न करना तथा उस कपड़े की फॉरेंसिक जांच न कराना विवेचना को संदिग्ध बनाता है। पोस्टमोर्टम रिपोर्ट दिनांकित 01-07-2023 से मृत्यु का सम्भावित समय भी संदेहजनक पाया गया है। मृतक मायाराम पाल और उसकी पत्नी के मध्य कटुता रही है और विवाह के एक वर्ष बाद से ही मृतक मायाराम पाल अपनी पत्नी/वादिनी मुकदमा को साथ लेकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अलग होकर लखनऊ शहर में निवास करने लगा जहां पर मृतक मायाराम पाल अपनी पत्नी से परेशान होकर कहीं भाग गया जिसके बाबत वादिनी मुकदमा ने दिनांक 13-09-2022 थाना मानस नगर जिला लखनऊ पश्चिम में गुमशुदा व्यक्ति पंजायन सं० 0007/2022 दर्ज कराया। जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी विवेचक ने इस बिंदु पर कोई विवेचना नहीं किया। मृत्यु से पूर्व मृतक द्वारा अपनी पत्नी को भेजे गये मैसेज की

भी कोई जांच विवेचक द्वारा नहीं की गयी। विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा का मोबाइल नं०, मृतक मायाराम पाल का मोबाइल नं०, वादिनी मुकदमा के भाइयों तथा मृतक के मित्रगण सत्यम शुक्ला तथा राम प्रकाश वर्मा के मोबाइल नं० व आरोपीगण दयाराम पाल, राम अवध पाल, अनीता पाल के मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट सर्विलांस सेल को प्रेषित किया गया, लेकिन सर्विलांस सेल की रिपोर्ट प्राप्त किये बगैर विवेचक ने दिनांक 08-08-2023 प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया जो पूरी विवेचना को संदिग्ध बनाता है। विवेचक द्वारा अपने प्रभारी निरीक्षक थाना मिलएरिया जिला रायबरेली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र जो पत्रावली में कागज सं० 13ख/10 है, का अवलोकन किये बिना, जिसमें प्रभारी निरीक्षक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक पत्र प्रेषित किया गया था तथा सम्पूर्ण घटना को संदिग्ध बताया था, उसकी गहनता से जांच न करके आरोप पत्र दाखिल करने में त्रुटि कारित किया गया है। मृतक के गले पर 2cm के समांतर पर आये लिगेचर मार्क स्वयं अपने आप फांसी लगाये जाने में शंका उत्पन्न कर रहा है। यह संकेत गले में रस्सी द्वारा फंदा लगाकर मार दिये जाने और बाद में एक रस्सी से गले में कसकर लटका दिये जाने की तरफ इशारा करता है, जिस पर विवेचक ने गहनता से कोई जांच नहीं किया। मृतक मायाराम की लाश जहां पायी गयी उस मकान के अन्य किसी किरायेदार से भी कोई पूछताछ विवेचक द्वारा नहीं किया गया। विवेचक द्वारा सोसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच हेतु दिनांक 29-09-2023 को भेजा गया। बिना जांच रिपोर्ट के प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। विवेचक ने मृतक मायाराम के हस्ताक्षर/लिखावट के सम्बन्ध में भी कोई जांच नहीं किया है। विवेचक द्वारा असल अपराधी को बचाने के लिए सम्पूर्ण विवेचना त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों को लगाये गये आरोपों से उन्मोचित किया जाये।

3- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया है कि विवेचक द्वारा गहनता से विवेचना करने के उपरांत, प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों की संलिप्तता अपराध से होना पाते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4- मैंने पत्रावली को सुना एवं अवलोकन किया।

5- संक्षेप में इस प्रकरण का तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा बिंदु पाल द्वारा इस आशय की तहरीर थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली में दिया गया कि वादिनी का विवाह विपक्षी राम अवध पाल के पुत्र माया राम पाल से दिनांक 23-01-2013 को हुआ था। उसके पति दो भाई थे। बड़े भाई विपक्षी सं० 1 दया राम पाल बेकरी की दुकान चलाते थे और उसके पति एम०आर० का काम करते थे तथा ससुर विपक्षी सं० 3 राम अवध पाल आई०टी०आई० रायबरेली में नौकरी करते थे। शादी के एक वर्ष बाद जेठ दया राम पाल व जेठानी अनीता पाल के कहने पर ससुर ने उसे और उसके पति को पासपोर्ट को लेकर विवाद किया था और उन्हें घर से निकाल दिया गया था। वह व उसके पति मृतक मायाराम पाल

लखनऊ में किराये का कमरा लेकर साथ रहने लगे और उन्हें एक पुत्र भी पैदा हुआ। वादिनी और उसके पति खुशहाल रहते थे परंतु विपक्षी दया राम पाल (जेठ), अनीता पाल (जेठानी) व राम अवध पाल (ससुर) द्वारा उसके पति को मोबाइल से कॉल कर और कभी-कभी घर पर बुलाकर मानसिक रूप से काफी परेशान किया जाता था। उसके ससुर द्वारा उसके परिवार की कोई मदद नहीं की जाती थी इसलिए उसका परिवार आर्थिक रूप से तनाव में रहता था। उसका ससुर हमेशा यह कहता था कि वह उन्हें अपनी सम्पत्ति में से कुछ नहीं देंगे। इसी बात को लेकर उसके पति ने दिनांक 27-06-2023 को उसे मैसेज कर सूचना दिया कि वह अपनी कम्पनी के काम से मुंबई जा रहा है क्योंकि दिनांक 21-06-2023 को ही वह अपने पति की अनुमति से अपने बच्चे के साथ अपने भाई पवन कुमार पाल के यहां चली गयी थी। सूचना देने के बाद लखनऊ के किराये के कमरे में मोबाइल छोड़कर उसके पति चले गये। विपक्षीगण 1 लगायत 3 ने उसके पति को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया और उन्हें आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया जिससे उसके पति ने दिनांक 01-07-2023 को मकान सं० 473 फेस-2 तुलसी नगर रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा लिया। इसका उल्लेख उसके पति द्वारा हस्तलिखित सोसाइट नोट में किया गया है।

6- तहरीर वादिनी के आधार पर दिनांक 05-07-2023 को समय 11:20 बजे मु०अ०सं० 298/23 अं० धारा 306 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण दयाराम पाल, अनीता पाल एवं राम अवध पाल पंजीकृत किया गया।

7- दिनांक 05-07-2023 को विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ किया गया। विवेचक द्वारा, फील्ड यूनिट के आरक्षी वीरेंद्र यादव द्वारा दाखिल किये गये मृतक माया राम पाल से सम्बन्धित पेन, तम्बाकू, एक जोड़ी चप्पल, एक पोकेट डायरी का अवलोकन किया गया और सोसाइड नोट के सम्बन्ध में आरक्षी वीरेंद्र यादव का बयान लिया गया, जिन्होंने बताया कि एक शव को फांसी पर लटका होने की सूचना प्राप्त होने पर वह मुख्य आरक्षी अजीत तिवारी तथा कांस्टेबल उमेश कुमार के साथ मौके पर गये थे और मौके पर छानबीन करते हुए घटना स्थल का सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके से लाल कलर का पेन, एक तम्बाकू का पैकेट, एक जोड़ी चप्पल, एक पोकेट डायरी, एक कागज के टुकड़े पर हस्तलिखित सोसाइड नोट मिला था जिसे एक पारदर्शी पैकेट में रखकर थाना मिलएरिया में दाखिल कर दिया गया था। विवेचक द्वारा सुसाइड प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उसका अवलोकन किया गया जिसमें यह लिखा हुआ था "मेरी मौत के लिए दया राम पाल और उनकी पत्नी अनीता पाल जिम्मेदार है।" तदुपरांत विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा और भाई पवन कुमार पाल का बयान अंकित किया गया तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के विशेषज्ञों द्वारा घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रियेट कराया गया। अभियुक्तगणों की तलाश की गयी परंतु उनको कोई जानकारी नहीं हो पायी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना स्वतंत्र गवाह सत्यम शुक्ला राम प्रकाश वर्मा का बयान अंकित किया गया जिन्होंने घटना की पुष्टि किया। मृतक के पास से बरामद सुसाइड नोट व अन्य हस्तलिखित दस्तावेज, हस्तलेख मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में भेजा गया। तदुपरांत दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के

आधार पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों की संलिप्तता अपराध में होना पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

8- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सम्पूर्ण विवेचना को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए अधिरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों द्वारा मानसिक रूप से वादी मुकदमा के पति को प्रताड़ित किया गया जिसकी वजह से उसके पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। आरोप तय किये जाने के स्तर पर न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट और दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन हो रहा है जिसके लिए विचारण किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं। इस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना होता है कि विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर यदि आरोप तय किया जाता है तो प्रत्येक दशा में अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म साक्ष्य होने पर भी न्यायालय का यह दायित्व है कि वह आरोप तय कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध विचारण प्रारम्भ करे और समस्त साक्ष्यों का मूल्यांकन विधि अनुसार करते हुए अंतिम निष्कर्ष पारित करे।

विधि व्यवस्था **Anant Prakash Sinha @ Anant Sinha Vs State of Hariyana, 2016(93) ACC 951(SC**) में प्रतिपादित किया गया है कि-

"Charge must be founded on the material, available on record. It can be framed on the basis of the complaint or the FIR or accompanying document or the material brought on record during the course of trial."

विधि व्यवस्था **Palwindar singh Vs Balwindar Singh 2007(65) ACC 399(SC) and State of Delhi Vs Gyandevi and others 2001(42) ACC 39(SC)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

"At the stage of framing charges, trial court is not to examine and assess in detail the material placed on record by the prosecution nor is the court to consider sufficieny of the materials to establish the offence alleged against the accused persons. Marshalling of facts and appreciation of evidence at the time of framing of charge is not in the domain of the court."

एक अन्य निर्णयज विधि **Superintendent and Remembrancer of legal affair, West Bengal Vs Ani Kumar Bhunja AIR 1980(SC) 52** में अवधारित किया गया है कि-

"The standard of test, proof and judgement which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of section 227 or 228 and sections 239 or 240 crpc.

विधि व्यवस्था **State of Orissa Vs. Debendra Nath Padhi, 2005 (51) ACC 209 (SC) (Three-Judge Bench) And Sajjan Kumar Vs. CBI, (2010) 9 SCC 368** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“Roving and fishing enquiry at the stage of charges u/s 228 CrPC or discharge of the accused u/s 227 CrPC by the Sessions Judge and by the Magistrate u/s 239 or 240 CrPC is not permissible as it would amount to a mini-trial at the stage of framing of charges or discharging the accused and against all settled principles of criminal jurisprudence.”

विधि व्यवस्था **State of Maharashtra Vs. Salman Salim Khan, 2004 CrLJ 920 (SC) (Para 12) And Liyaqat Vs. State of UP, 2008 (62) ACC 453 (Allahabad)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“Assessment of truthfulness, sufficiency and acceptability of the material produced cannot be done at the time of framing of charges as the same can be done by the court only at the stage of trial.”

विधि व्यवस्था **State Vs Doraiswamy, AIR 2019 SC 1518 एवं State of Tamilnadu Vs N. Suresh Rajan, 2014(84) ACC656(SC)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“At the stage of consideration of discharge of accused u/s 227 CrPC or 239 CrPC, court has to proceed with the assumption that the material brought on record by the prosecution is true. Court has to find out from the material whether acts emerging, if taken on their face value, disclose ingredients constituting the alleged offence. Court is not required to go deep into the matter as would be required for conviction. While considering the plea of discharge, court is not permitted to appreciate evidence and act as appellate court.”

विधि व्यवस्था **Dinesh Tiwari Vs. State of UP, 2014 (86) ACC 872(SC), Amit Kapoor Vs. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“Charge can be framed even on the basis of strong suspicion founded upon materials before the court which leads the court to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged against the accused.”

9- इस प्रकरण में जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 306 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया। मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। तहरीर वादिनी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 306 भा०दं०सं० का गठन होता है। विवेचक द्वारा भी दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप साबित पाते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10- उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 306 भा०दं०सं० विरचित किये जाने का पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अं०धारा 227 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 10ख अंतर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप दिनांक 16-05-2024 को पेश हो। नियत दिनांक पर सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहें।

दिनांक- 03-05-2024

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2024.05.03 13:46:44 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli